भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2479

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

कर आधार के विस्तार हेतु कर सुधार

2479. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वैच्छिक अनुपालना को बढ़ावा देने, कर आधार का विस्तार करने तथा मुकदमों में कमी लाने के उद्देश्य से किए गए प्रमुख प्रत्यक्ष कर सुधारों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त सुधारों का राजस्व में वृद्धि, करदाताओं की अनुपालना लागत तथा निवेश वातावरण पर पड़े प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा जन-जागरूकता (आउटरीच), डिजिटल सेवाओं तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से उक्त सुधारों को समझने एवं अपनाने में करदाताओं एवं व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, कर आधार का विस्तार करने और मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख कर सुधारों का विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

(ख) और (ग): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लागू किए गए कर सुधारों के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट आयकर के राजस्व उछाल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। व्यक्तियों और एच.यू.एफ. के लिए छूट सीमा में वृद्धि और कर स्लैब संरचना के युक्तिकरण सहित करदाता राहत उपायों के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नॉन -कॉर्पोरेट आयकर का राजस्व उछाल कम हो गया था।

दिनांक 22 सितंबर, 2025 से लागू जी.एस.टी. दर का युक्तिकरण, जिसका उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाना है और अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए कारोबार करने में आसानी पर सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं और उभरते क्षेत्रों पर कर के बोझ में कमी से जीवन यापन की लागत कम होने, सामर्थ्य में सुधार होने और खपत की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे जी.एस.टी. राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उपलब्ध आँकड़ों से पता चलता है कि जीएसटी दर युक्तिकरण के लागू होने के बाद जीएसटी संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। दर युक्तिकरण के बाद की अवधि अर्थात नवंबर, 2025 से जुलाई, 2026 तक सकल जीएसटी संग्रहण (सीजीएसटी + एसजीएसटी + आईजीएसटी) में 7.93% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कर उछाल को दर्शाती है। तथापि, इन नेक्सट-जेन जी.एस.टी. सुधारों के लागू होने के बाद अपेक्षाकृत कम समय बीता है, इसलिए राजस्व उछाल पर निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जी.एस.टी. संग्रहण की प्रकृति सामयिक होती है। इसके अलावा, यह अवधि पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित थी, जिससे व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई।

(घ): इन सुधारों को समझने और अपनाने में करदाताओं और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुलग्नक 2** में दिए गए हैं।

प्रत्यक्ष कर

- आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 को संक्षिप्त और समझने में आसान नियम बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना था।
- आई.टी./आई.टी.ई.एस. के लिए सुरक्षित आश्रय व्यवस्था का विस्तार आई.टी. सेवाओं, सॉफ्टवेयर विकास, के.पी.ओ. और अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को एक ही "आई.टी.एस." श्रेणी में विलय करके किया गया था और अब यह 15.5% परिचालन मार्जिन पर 2,000 करोड़ रुपये तक के राजस्व वाली संस्थाओं के लिए उपलब्ध है।
- संशोधित रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख कर वर्ष के बाद 31 दिसंबर से बढ़ाकर आगामी कर वर्ष के 31 मार्च तक कर दी गई थी।
- वित्त अधिनियम, 2026 के तहत एक समयबद्ध योजना की घोषणा की गई थी जिससे छोटे करदाताओं को विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोत वाली आय घोषित करने दी जा सके और कडे दंडात्मक उपबंधों से बचा जा सके।
- संबंधित मुकदमेबाजी को कम करने के लिए जनशक्ति की आपूर्ति को धारा 402 (47) के तहत "पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क" के बजाय "ठेकेदारों को भुगतान" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था।
- अब पी.एफ., अधिवर्षिता या ई.एस.आई. योगदान के लिए कटौती की अनुमति है, यदि इन्हें धारा 263 (1) के तहत रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख तक जमा किया गया है, जो "नियत तारीख" के संबंध में पहले के विवादों को हल करता है।
- तेजी से विवाद समाधान को सक्षम करने के लिए निर्धारण और दंडात्मक कार्यवाहियां एक ही सामान्य आदेश में एकीकृत की गईं थीं।
- तब तलाशी संबंधी निर्धारणों में, "अन्य व्यक्ति" के लिए ब्लॉक अवधि एक वर्ष तक सीमित थी जब अघोषित आय केवल एक कर वर्ष से संबंधित थी।
- करदाताओं को अब पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां शुरू होने के बाद भी, या पहले दावा की गई हानि को कम करते समय भी अद्यतित रिटर्न फाइल करने की अनुमति है।
- काला धन अधिनियम के तहत अब 20 लाख रुपये से कम मूल्य की अचल विदेशी संपत्ति के अप्रकटीकरण पर अभियोजन नहीं चलाया जा सकता है।

अप्रत्यक्ष कर - जीएसटी दर युक्तिकरण

- 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक (03.09.2026) में एक सरलीकृत दो-दर "सरल कर" संरचना को मंजूरी दी गई, जिसमें 18% की मानक दर, 5% की योग्यता दर और चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष अवगुण दर है।
- 12% स्लैब को धीरे-धीरे काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था और पूर्व 28% स्लैब को नए 40% अवगुण दर में पुनर्गठित किया गया था।

- व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों (टर्म, यू.एल.आई.पी. और एंडोमेंट) और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक योजनाएं शामिल हैं, पर जी.एस.टी. में पूरी तरह से छूट दी गई थी।
- ये जी.एस.टी. परिवर्तन 22 सितंबर 2025 को अधिसूचना संख्या 9, 10 और 13-17/2025-केंद्रीय कर (दर) के माध्यम से लागू हुए।

सीमा शुल्क युक्तिकरण

- 2023 में, सीमा शुल्क युक्तिकरण के पहले चरण में दरों को मिला दिया गया और उनकी संख्या आठ से कम कर दी गई।
- 2025 में, दूसरे चरण में 25%, 30%, 35%, 40%, 100%, 125% और 150% के स्लैब को समाप्त करके सीमा शुल्क दरों को घटाकर आठ (शून्य सहित) कर दिया गया।
- यह नई नीति यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी औद्योगिक वस्तु पर एक से अधिक उपकर या अधिभार न लगाया जाए।

अनुपालन और रिफंड उपाय

- एक सरलीकृत पंजीकरण योजना जो 1 नवंबर 2025 से लागू है, अब 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक के आई.टी.सी. को पारित करने वाले कम जोखिम वाले आवेदकों को तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित अनुमोदन प्रदान करती है।
- सिस्टम-संचालित जोखिम मूल्यांकन के आधार पर शून्य-रेटेड आपूर्ति दावों के लिए अब सात दिनों के भीतर 90 प्रतिशत का अस्थायी रिफंड स्वीकृत किया जाता है।
- वित्त अधिनियम, 2026 ने सी.जी.एस.टी. अधिनियम में संशोधन किया ताकि इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से उत्पन्न दावों के लिए समान 90% अनंतिम रिफंड लाभ का विस्तार किया जा सके।
- सी.बी.आई.सी. ने औपचारिक विधायी संशोधनों के इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर संरचना मामलों में 90 प्रतिशत अनंतिम रिफंड को लागू करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को 1 अक्टूबर 2025 से लागू निर्देश जारी किए।
- कोरियर या डाक माध्यमों का उपयोग करने वाले छोटे निर्यातकों को लाभान्वित करने हेतु निर्यात रिफंड दावों के लिए निर्धारित सीमा को हटाने हेतु सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 54 (14) में संशोधन किया गया था।
- अनुपालन को सरल बनाने, वर्गीकरण विवादों को कम करने और कर आधार का विस्तार करने के उद्देशय से ये सभी परिवर्तन 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए।

अनुलग्नक-2

प्रत्यक्ष कर के संबंध में

i. नई आयकर वेबसाइट का लॉन्च, जिसमें अन्य बातों के अलावा, नव अधिनियमित आयकर अधिनियम, 2025 और आयकर नियम, 2026 के उपबंध शामिल हैं।

ii. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सक्षम चैटबॉट 'कर साथी' वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है जो करदाताओं को आयकर उपबंधों को समझने और स्वेच्छा से अनुपालन करने में सुविधा प्रदान करता है।

iii. आयकर सेतु 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो करदाताओं को अपने पोर्टेबल उपकरणों पर अनुपालन और आयकर उपबंधों की नियत तारीखों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।

iv. पैन धारकों, करदाताओं और कटौतीकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए आउटरीच, सोशल मीडिया अभियान, ब्रोशर का प्रकाशन और वितरण, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और दिशानिर्देश जारी करना और भौतिक शिविरों का आयोजन कार्य किया गया।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में

i. करदाताओं और व्यवसायों को प्रमुख कर सुधारों को समझने और अपनाने में मदद करने के लिए विभिन्न विषयों पर वेबिनार आयोजित किए गए।

ii. प्रस्तुतिकरण, विचार-विमर्श और प्रश्नोत्तर के द्वारा संवाद सत्रों के माध्यम से कर सुधारों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

iii. कई जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।

iv. प्रमुख कर सुधारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और करदाताओं की समझ में सुधार करने के लिए छोटे वीडियो, रील, टी.वी. विज्ञापन (टी.वी.सी.) और शिक्षण वीडियो विकसित किए गए थे।

v. अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सी.बी.आई.सी. के डिजिटल मंचों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रमुख सुधारों की जानकारी प्रसारित की गई।

vi. करदाताओं और व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से रिटर्न फाइल करने और जी.एस.टी. आवश्यकताओं का सही ढंग से पालन करने में सक्षम बनाने के लिए चरण-दर-चरण शिक्षण वीडियो और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका तैयार की गई थी।

vii. करदाताओं को दिन-प्रतिदिन के अनुपालन में सहायता करने के लिए विवरणिकाएँ और मार्गदर्शन सामग्री उपलब्ध कराई गई।